कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा।

अनुदान पर ऑटो– रिक्शा, स्टॉल/ठेला एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु पुनः अल्पकालीन आवेदन–पत्र आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2020–21 में सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 14 दिनांक 28.09.2020 द्वारा प्राप्त राज्यादेश के आलोक में जामताड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में (प्रखण्ड स्तर तक मान्य) मछली बेचने वाले थोक एवं खुदरा व्यवसायी के सहायतार्थ अनुदान पर ऑटो–रिक्शा, स्टॉल/ठेला एवं उपकरण इत्यादि जिलान्तर्गत खुदरा मत्स्य विक्रेताओं के सहायतार्थ अनुदान पर मछलियों के विपणन हेतु उपकरण एवं ऑटो– रिक्शा प्रदान करने हेतु मुख्य शीर्ष– 2405 मछली पालन–उप शीर्ष –50– मत्स्य विपणन योजना, 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत ऑटो– रिक्शा –01, मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला –01 एवं मत्स्य उपकरण– 02 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। जिसकी विवरणी निम्नांकित है :–

क्र0 सं0	कार्यक्रम	विभागीय अनुदान	लाभुक अंशदान
1	मछली परिवहन हेतु ऑटो– रिक्शा (1.0टन क्षमता)	60% (1.80 लाख रू0)	40 %
2	मत्स्य विपणन स्टॉल/ ठेला	95% (0.40 हजार रू0)	5% अनुसूचित जन जाति ,दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति 10% सामान्य जाति
3	खुदरा मछली विक्रेता हेतु उपकरण (मूल्य– 5,000/– रू0)	95%	5%

लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा की जायेगी। प्राप्त भौतिक लक्ष्य के आलोक में आवेदकों का चयन निम्न अहर्त्ता के आधार पर किया जायेगा।

1. आवेदक को मत्स्य जीवी सहयोग समिति अथवा महिला समूह का सदस्य होना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्त्ता अगर दिव्यांग है तो असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदनकर्त्ता मत्स्य विपणन कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए।
4. महिला आवेदनकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते वे महिला समूह के सदस्य हो।
5. आवेदनकर्त्ता को मछली बिक्री करते हुए स्वयं का पोस्टकार्ड साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त किसी भी कोटि के आवेदक, आवेदन देने हेतु योग्य होंगे, बशर्ते आवेदक अपने अंशदान की राशि लगाने में सक्षम हो।

अतः प्राप्त भौतिक लक्ष्य के विरूद्व सुयोग्य आवेदकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है।

कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि– 11.01.2021 है।

विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक किसी भी कार्यदिवस में जिला मत्स्य कार्यालय, जामताड़ा में संपर्क कर सकते है। विज्ञापन प्रकाशन उपरांत आवेदन– पत्र कार्यालय से निःशुल्क दी जायेगी।

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा।